

क्रमांक:- 10388-40

दिनांक :- 7-1-2026

**राशि आहरण आदेश
(पेरेन्ट्स काउंसलिंग 2025-26)**


राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर के दिशा निर्देश क्रमांक 16622218 दिनांक 24.07.25, एवं मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, जयपुर के वित्तीय एवं आहरण स्वीकृति क्रमांक 18183594 दिनांक 10.10.2025 की अनुपालना में समावेशी शिक्षा अन्तर्गत Therapeutic Services गतिविधि के आयोजन हेतु ब्लॉक स्तर पर स्थापित संदर्भ कक्षाओं पर गंभीर दावे से ग्रसित विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं हेतु संबंधित ब्लॉक संदर्भ केन्द्र पर थैरेपिटिक संबलन प्रदान करने के उद्देश्य से थैरेपिटिक सेवाएं उपलब्ध करवाया जाना एवं पेरेन्ट्स काउंसलिंग कार्यक्रम आयोजन सत्र 2025-26 में दो बार किया जाता है।

इस हेतु प्रति पेरेन्ट्स काउंसलिंग 7500/-रु. की दर से कुल 15000/-रु. राशि संदर्भ कक्षा सरदार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोटपूतली के एसएनए खाते में जारी किये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

संलग्न- उक्त आदेश की प्रति

उक्त स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती हैं -


1. वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2025-26 में अनुमोदित राशि से अधिक राशि व्यय नहीं की जाये।
2. राशि का उपयोग संबंधित मद में ही किया जायें।
3. व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रपत्र में भिजवाया जाना सुनिश्चित करे।
4. राशि का उपयोग, थैरेपिस्ट सर्विस/अभिभावक परामर्शदात्री के संबंध में जारी दिशा-निर्देशानुसार, एमएचआरडी की गाईड लाईन एवं लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुए विहित प्रक्रियानुसार किया जाना सुनिश्चित करे।
5. उक्त राशि का SNA मद Provision for children with special needs (CWSN) है।


मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
समग्र शिक्षा कोटपूतली
दिनांक:- 7-1-2026

क्रमांक:- 10388-40

प्रतिलिपि:-

1. श्रीमान मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, जयपुर
2. संबंधित विद्यालय
3. लेखा शाखा हाजा कार्यालय
4. रक्षित प्रति


मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
समग्र शिक्षा कोटपूतली